P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-9, ISSUE-4 May -2021
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

पकरीबरवाडीह कोयला खनन परियोजना का प्रभावितों के जीवन पर प्रभावः एक अध्ययन

Impact of Pakribarwadih Coal Mining Project on the Lives of the Affected: A Study

Paper Submission: 05/05/2021, Date of Acceptance: 13/05/2021, Date of Publication: 24/05/2021

विनोद रंजन
सहायक प्राध्यापक,
स्नातकोत्तर मानवविज्ञान
विभाग, विनोबा भावे
विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
झारखण्ड, भारत

प्रभात कुमार प्रधान
शोधार्थी,
स्नातकोत्तर मानवविज्ञान
विभाग, विनोबा भावे
विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
झारखण्ड, भारत

सारांश

प्रस्तुत आलेख झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिला अन्तर्गत अवस्थित पकरीबरवाडीह कोयला खनन परियोजना से प्रभावित बड़कागांव प्रखण्ड के प्रभावित गांवों में किये गये क्षेत्रकार्य से संकलित प्राथमिक आंकड़ो पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़ो के लिए संबंधित साहित्यों का सहारा आवश्यकतानुसार लिया गया है। आलेख का मुख्य उद्देश्य प्रभावितों के जीवन पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, पारिस्थतकीय व पर्यावरणीय प्रभावों का विवरण व विश्लेषण करना है। भूमि अधिग्रहण से लेकर खनन परियोजना के आरम्भ होने के कारण विभिन्न आयु वर्ग, लिंग व संवर्ग के लोगों के जीवन के विविध आयामों पर पड़ने वाले प्रभावों का समाकलित व गुणात्मक वर्णन करना आलेख की प्राथमिकता है। आलेख की प्रकृति गुणात्मक व परिमाणात्क दोनों है। आलेख के लिए आंकड़ो के संकलन हेतु मानवविज्ञान की मानक शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। प्रभावित ग्रामीणों के साथ साथ संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारियों, कंपनी के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, भूमि अधिग्रहण के प्रतिरोध में गतिशील संघर्ष समितियों के नेतृत्वकर्त्तों से भी सूचनाओं का संकलन किया गया है। कोयला खनन परियोजन के तात्कालिक व दूरगामी परिणाम पड़ने वाले हैं। प्रभावितों पर न केवल पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक जीवन पर खनन परियोजना का प्रभाव पड़ा है अपितु उनके स्वास्थ्य व स्थानीय भूमि, जल, पर्यावरण व सांस्कृतिक पारिस्थति की पर भी प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव पड़ा है। कोयला खनन उद्योग ने विस्तृत अर्थों में समाज एवं मानव जीवन के सभी आयामों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित किया है।

The present article is based on the primary data collected from the field work done in the affected villages of Barkagaon block affected by Pakribarwadih coal mining project located under Hazaribagh district of Jharkhand state. For secondary data, to related literature has been taken as per the need. The main purpose of the article is to describe and analyze the social, economic, cultural, educational, ecological and environmental impacts on the lives of the affected. The priority of the article is to make an integrated and qualitative description of the impacts on various aspects of life of people of different age groups, genders and cadres, from land acquisition to mining projects. The nature of the article is both qualitative and quantitative. Standard anthropological research methods have been used to compile the data for the article. Information has also been collected from the affected villagers as well as from the concerned administrative officials, company officials, local public representatives, leaders of the dynamic struggle committees in resistance to land acquisition. The coal mining project is going to have immediate and far-reaching consequences. The mining project has had an impact not only on the family, social, cultural, community life of the affected, but also on their health and local land, water, environment and cultural ecology, directly and indirectly. The coal mining industry has affected society and human beings in a wide sense. It has directly and indirectly affected all aspects of life.

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-9, ISSUE-4 May -2021
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

मुख्य शब्द : पारिवारिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, शैक्षणिक प्रभाव।
Family Impact, Social Impact, Cultural Impact, Economic Impact, Educational Impact.

प्रस्तावना

भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में कोयला खनन उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व के सभी विकसित, विकासशील एवं अविकसित देश भौतिक एवं औद्योगिक विकास के लिए कोयला खनन उद्योग को अधिक से अधिक बढावा देने में प्रत्यनशील रहते हैं। कोयला खनन उद्योग से रोजगार के नये अवसरों व आय के नये साधन व संसाधन का सृजन होता है साथ ही साथ आधारभूत संरचनाओं का विकास भी होता है। तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कोयला खनन उद्योग के कारण निरन्तर प्रगति होता रहता है। भारतीय संदर्भ में कोयला खनन उद्योग के परिणामस्वरूप आजीविका के कृषि आधारित साधन व संसाधन के स्थान पर रोजगार के अन्य साधन व संसाधन के कारण परिवार की संरचना व प्रकार्य, जातीय व्यवस्थाओं, जजमानी व्यवस्था एवं लोगों के मूल अधिवास क्षेत्र में भी बदलाव आयें हैं। भौतिकतावाद, उपभोगवाद, बाजारवाद एवं व्यक्तिवाद लोगों के जीवन में हावी व प्रभावी हो रहा है। कोल संस्कृति के विकास के कारण आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे है। व्यवसाय, व्यापार, कृषि, शिक्षा, धर्म, राजनीति, नैतिकता एवं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के सभी आयाम कोयला खनन उद्योग से प्रभावित हुए है।

प्रस्तुत अध्ययन में पारिवारिक प्रभाव से आशय परिवार की संरचना, संगठनात्मक व्यवस्था, प्रकार्य, पारिवारिक संबंधों के ताने बाने व पारिवारिक जीवन पर कोयला खनन परियोजना का पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों से है।

सामाजिक प्रभाव से आशय सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक संबंधों के संजालों व सामाजिक जीवन पर कोयला खनन परियोजना का पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों से है।

सांस्कृतिक प्रभाव से आशय सांस्कृतिक रीति रिवाजों, धार्मिक व्यवस्थाओं, मूल्यों, प्रतिमानों, कलात्मक आयामों व संस्कृति के विविध आयामों पर कोयला खनन परियोजना का पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों से है।

आर्थिक प्रभाव से आशय आजीविका के साधन व संसाधन, अर्थव्यवस्था, उत्पादन, उपभोग व वितरण, भौतिक संसाधनों, रोजगार व आर्थिक जीवन स्तर पर कोयला खनन परियोजना का पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों से है।

शैक्षणिक प्रभाव से आशय शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण संस्थानों व शिक्षा के स्तर पर कोयला खनन परियोजना का पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों से है।

जीवन पर प्रभाव से आशय प्रभावितों पर पड़ने वाले आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य संबंधी, प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों से है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत विषय से संबंधित समाचार पत्रों, शोध प्रतिवेदनों, सरकारी दस्तावेजों, आलेखों पत्र पत्रिकाओं व पुस्तकों वेबसाइटों पर उपलब्ध साहित्यों का पुनरावलोकन किया गया है।

स्वनडेर (1957)[1] ने औद्योगिकीकरण के प्रभाव संबंधी अध्ययनों के आधार पाया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रादुर्भाव के कारण श्रमशक्ति की एक बड़ी संख्या औद्योगिक श्रमिक के रूप में कार्य करने लगते है। औद्योगिक प्रकृति के अनुसार इन श्रमिकों के जीवनशैली व आहार व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। उद्योगवाद से परिवार के भौतिक परिवेश को बढावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार की संरचना व प्रकार्य में बदलाव आता है। औद्योगिकीकरण के कारण विस्तृत परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एकल परिवार की संख्या बढ़ने लगता है।

जनसंख्या विशेषज्ञ बासे (1962)[2] ने पाया है कि बिहार, मध्यप्रदेश (वर्तमान छत्तीसगढ़) और उड़ीसा राज्य में उद्योगों की स्थापना के कारण गंगा, जमुना के मैदानी क्षेत्रों में बाहरी आबादी का पर्वतीय व पहाडी क्षेत्रों में पलायन हुआ है, क्योकि वहाँ नए औद्योगिक एवं प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे। जनजातीय लोगों को अपने मूल स्थानों से उखाड़ने में औद्योगिकीकरण के साथ–साथ अन्य आर्थिक पहलुओं का भी हाथ रहा है।

दास बनर्जी (1962)[3] ने अपने अध्ययन में पाया कि कोयला खनन उद्योग के फलस्वरूप अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं, जिससे प्रभावितों को सामंजस्य स्थापित करना होता है जैसे कृषि कार्य के स्थान पर औद्योगिक श्रमिक के रूप में कार्य करने को विवश होना, दैनिक मजदूरी या संविदा श्रमिक का कार्य कर जीवन गुजर बसर करना, व्यक्तिपरकता में वृद्धि होने से सामूहिकता का ह्रास होना, युवा पीढ़ी द्वारा विवाह संबंधी परंपरागत मान्यताओं को अस्वीकार किया जाना, सामाजिकता का पतन होना, बड़ों के पारंपरिक अधिकार व सम्मान में कमी आना। कोयला खनन उद्योग का संस्कृति पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। एक ओर शिक्षा स्वास्थ्य व बिजली जैसे आधारभूत सविधाओं में सुधार आने से जीवन स्तर में बदलाव आते हैं वहीं जमीन से बेदखल होने के कारण मजदूरी करने, रिक्शा चलाने, होटलों में जूठे कप प्लेट धोने, नौकरानी का काम करने व अपने मूल स्थान से प्रवासी होने भी को विवश होना पड़ता है।

सिन्हा (1967)[4] ने कोयला खनन उद्योग और जनजातीय समुदाय संबंधी अध्ययन में पाया कि औद्योगिक

इकाईयों में अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों का स्थान जनजातियों को मिला, इसका सामाजिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन इससे स्थानीय गतिशीलता को बढ़ावा मिला, मजदूर गांव छोड़कर बाहर काम करने जाते है, पर सप्ताह के अंत में पुनः गांव लौट आते है। स्पष्ट है कि कोयला खनन उद्योग ने जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय गतिशीलता को बढ़ाया है।

विद्यार्थी (1968)[5] ने हटिया के निकट आठ जनजातीय गांवों में किए गये अध्ययन में यह पाया कि इन गांवों में जनजातीय परंपरागत कृषिजन्य अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रभावित हुई है। हटिया उद्योग के निर्माण काल के प्रारंभिक चरण में उन्होंने उप–आजीविका के रूप में औद्योगिक मजदूरी भी की लेकिन कई कारणों से वर्तमान पीढी औद्योगिक मजदूरी के लिए लालायित नहीं है। कारखाना में काम कर रहे लोगों में खेतिहरों की अपेक्षा उपभोक्ता सामागियों यथा–नये वस्त्र, टार्च, चश्मा, साइकिल आदि के प्रयोग के कारण सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता आयी है। आर्थिक स्तर में बदलाव का प्रभाव सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन पर भी परिलक्षित होते हैं।

हाजरा (1970)[6] ने भी दक्षिण मध्यप्रदेश में जनजातीय सामाजिक गतिशीलता संबंधी अध्ययन में यह पाया कि स्थानीय लोगों का संपर्क नगरीय क्षेत्रों या बाह्य समूह से होता है। औद्योगिक गतिविधियों के कारण उनके जीवन के समस्त आयाम प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। आजीविका के पुश्तैनी व परम्परागत साधन व संसाधन में भी परिवर्तन आये हैं। औद्योगिक सभ्यता, प्रौद्योगिक दृष्टि व जीवन मूल्य का स्थानीय संस्कृति व समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विद्यार्थी (1970)[7] ने औद्योगिकीकरण का जनजातीय जीवन पर प्रभाव संबंधी अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि औद्योगिकीकरण से परम्परागत जीवन बिखर सा गया है। तेजी से बदलते वातावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। कुल मिलाकर लोगों के पेशा और जमीन तो जाते ही है साथ ही साथ बेरोजगारी व जीवन संघर्ष में वृद्धि होती है।

सरकार (1970)[8] उद्योग से विस्थापित अधिकांश जनजातियों ने कृषि कार्य के स्थान पर औद्योगिक मजदूरी अपनायी है, परन्तु अनुभव के अभाव में काम नहीं मिलने से इनमें असंतोष व्याप्त है। परिणाम स्वरूप जनजातियों की परंपरागत व्यवस्था छिन्न–भिन्न हुई है। इस प्रकार पेशा के जमशेदपुर जैसी पुरानी इस्पात नगरी का उदाहरण लिया जा सकता है। जहाँ पिछली आधी शताब्दी के दौरान यहाँ की ही भूमिज, संथाल जनजातियों ने खुद को बदलती स्थिति के अनुकूल बनाया है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृतिक संगठन के तत्वाधान मे संपादित अध्ययन से ज्ञात होता है कि 1907 ई. में जमशेदपुर के निकट 18 गाँवों की जमीन पर इस्पात कारखाना खड़ा हुआ। जिनमें जनजातियों को अकुशल मजदूर के रूप में काम मिला पर ये उसका लाभ नहीं उठा पाये।

डिसूजा (1974)[9] ने कोयला खनन उद्योग की पृष्ठभूमि में ग्रामीण जनसंख्या के स्थानांतरण का विश्लेषण करते हुए पाया कि संयुक्त परिवार का एकाकी परिवार में स्थानांतरण के दर में तीव्रता आयी है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में औद्योगिकीकरण का प्रभावित क्षेत्र के जनजातियों पर प्रभाव संबंधी अपने अध्ययन में सैनी (1978)[10] ने औद्योगिकीकरण से बस्तर क्षेत्र में व्यावसायिक संयंत्रों के आस–पास आदिवासियों से सामाजिक व व्यावसायिक भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाने लगा है, बाहरी लोग उनके जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं, कन्याओं के यौन शोषण की घटना आम बात होते जा रही है, लोग अपनी ही जमीन से बेदखल हो रहे हैं तथा शहरी अपराध की प्रवृत्ति में वृद्धि होने लगी है।

श्रीवास्तव (1992)[11] ने दक्षिण मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) की जनजातियों पर औद्योगिकीकरण प्रभाव संबंधी अध्ययन में यह पाया कि औद्योगिकीकरण से इन क्षेत्रों का भौगोलिक–सांस्कृतिक वातावरण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है।

ममता पवार (2009)[12] के कोयला खनन उद्योग का आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रभावितों में व्यावसायिक गतिशीलता बढ़ी है। एक ओर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, दूसरी ओर लोग कृषि को छोड़कर दूसरे पर निर्भर हो गये हैं। जिससे नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किन्तु सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है।

जॉन फेलिक्स राज.एस.जे. (2014)[13] ने औद्योगिक गतिविधियों के विभिन्न प्रभावों के अध्ययन में पाया कि प्रभावित परिवार कृषि के अतिरिक्त पूरक व्यवसाय के स्थानीय उद्योग में कार्य करते है। उनके साथ कई दुर्घटना भी घटती है, कई बार भारी मशीन में काम करने के कारण, खदान धस जाने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अवैध खनन कार्य के दौरान भी जान–माल की क्षति होती रहती है।

पुनर्स्थापन एवं पुर्नवास नीति–2008 के आलोक में एन.टी.पी.सी.लि. द्वारा पकरीबरवाडीह कोल माईन्स प्रोजेक्ट के नन कोल बीयरिंग एरिया एवं कोल बीयरिंग एरिया में भू–अर्जन से प्रभावित परिवारों का आई.आई.टी. खड़गपुर एवं क्षेत्रीय एनजीओ अभिज्ञान के सामाजिक–आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं. –10/डी.एल.ए./एन.टी.पी.सी.(का)पुन.–16/09/रा. रॉची 27.02.2013 का अध्ययन किया गया है। एन.टी.पी.सी.लि. द्वारा कराये गये एक अन्य अध्ययन के प्रतिवेदन का भी अध्ययन किया गया। झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित सं. 548 दिनांक 25 जुलाई, 2008 झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुर्नवास नीति–2008 का अध्ययन किया गया।

एस. नरसिंहधम व डी.वी.सुब्बाराव (2020) कोयला खनन परियोजना के कारण प्रभावित परिवारों के सांस्कृतिक आयमों एवं परम्परागता साहचर्य जीवन शैली

में परिवर्त्तन हो रहे हैं। ग्रामीण–कृषक समाज में नगरीय–औद्योगिक समाज के स्वरूप व विशेषतायें परिलक्षित हो रहें हैं। प्रवासियों के आगमन व सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव स्थानीय लोगों के जीवन पर पड़ा है। सामाजिक–सांस्कृतिक समायोजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कोयला खनन क्षेत्र में अपराध और लोगों में मादक पदार्थों के सेवन की आदतों में इजाफा हुआ है। परम्परागत सामाजिक–राजनैतिक व्यवस्था भी काफी प्रभावित हुआ है। लोगों की एकजुटता व सामूहिकता में भी कमी आयी है। लोगों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष कर वृद्धों, महिलाओं व बालकों पर कोयला खनन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वास्थ्य मद में प्रभावित परिवारों को अधिक खर्च वहन करना पड़ रहा है।

चन्द्र भूषण, एस. बनर्जी व श्रुति अग्रवाल (2021) ने कोयला खनन परियोजना के परिणास्वरूप प्रभावित क्षेत्र में परिवार के संरचनात्मक व्यवस्था में परिवर्त्तन के कारण परिवार के प्रकार्य में भी बदलाव आये हैं। साझा कार्य संस्कृति का ह्रास हुआ है। कोयला खनन परियोजना के पश्चात जातिगत, धार्मिक, सामाजिक–सांस्कृतिक हितों के स्थान पर लोग आर्थिक व व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता प्रदान करने लगे हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, अन्तर जातीय संबंधों, जजमानी व्यवस्था, भूधारक एवं सेवा प्रदाता जाति के अंर्तसंबंधों, किसान व कृषक मजदूरों के अंर्तसंबंधों पर कोयला खनन परियोजना का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। प्रभावित परिवारों को रोजगारविहीनता व भूमिहीनता जैसी समस्याओं से संधर्ष करना पड़ता है। जनसंख्या गतिशीलता में वृद्धि आयी है। लोगों का जीवन पहले की अपेक्षा अधिक संधर्षमय व गतिशील हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

अध्ययन क्षेत्र झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिला में अवस्थित है। हजारीबाग जिला उत्तरी छोटनागपुर क्षेत्र के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मे अवस्थित है। इस जिला का प्रमुख कोयला क्षेत्र चुरचू, डाडी, बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड में अवस्थित है। पकरीबरवाडीह कोयला परियोजना क्षेत्र झारखण्ड राज्य में हजारीबाग जिला के बडकागांव प्रखण्ड में अवस्थित है। पकरीबरवाडीह कोल ब्लॉक उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी भाग में अवस्थित है। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एन टी पी सी लिमिटेड को कैपिटेटिभ माइनिंग/ बास्केट लिंकेज के तहत उनके थर्मल पावर स्टेशन को कोयला आपूर्ति के लिए आबंटित किये गये हैं। बड़कागांव एवं केरेडारी में स्थित कुल 49.95 वर्ग किलोमीटर का कोयला क्षेत्र है। इस कोल ब्लॉक में कुल 1573.60 मिलियन टन भूगर्भीय कोल है। पकरीबरवाडीह कोयला खनन परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता 18 मिलियन टन है। इस प्रकार लगभग 52 वर्षों तक खनन कार्य होना है।

तालिकाः–1

प्रभावित ग्रामों का संख्यात्मक विवरण

क्रम सं.	प्रभावित गांव	पुरूष	**महिला**	प्रभावित जनसंख्या
1	देवरियाकला	534	516	1050
2	कंदावर	1818	1782	3600
3	सिरमा	78	72	150
4	नवाडी	112	88	200
5	बसारिया	161	139	300
6	देवरियाखुर्द	393	357	750
7	झबरा	9	7	16
8	बरियातु	932	868	1800
9	ढ़ेगा	631	569	1200
10	पकरी बरबाडीह	1327	1273	2500
11	इतीज	230	220	450
12	लंगातू	1512	1488	3000
13	चंदौल	738	712	1450
14	पुन्दौल	665	585	1250
15	आराहारा	623	577	1200
16	चेपाकला	1288	1212	2500
17	चिरूडीह	108	92	200
18	जुगरा	1263	1237	2500
19	चेपा खुर्द	1050	950	2000
20	डाडीकला	1523	1477	3000
21	चुरचू	763	737	1500
22	नगरी	412	388	800
23	सिन्दुआरी	1017	983	2000
24	उरूब	464	436	900
25	कैरी	515	485	1000
26	सोनबरसा	1012	988	2000
27	लकुरा	157	143	300
	योग	19335	18381	37616

स्रोत : क्षेत्र कार्य

बड़कागांव प्रखण्ड के 15 पंचायत में 84 गांव हैं। प्रखण्ड में पुरूष साक्षरता लगभग 66 प्रतिशत व महिला साक्षरता लगभग 35 प्रतिशत है। इस प्रखण्ड में 64 प्रतिशत वनभूमि, 24 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य भूमि व 14 प्रतिशत भूमि गैर कृषि योग्य व बंजर भूमि थी। कृषि योग्य भूमि का उपयोग सामन्यतः इस प्रकार से किया जाता थाः–

P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-9, ISSUE-4 May -2021
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

ग्राफ संख्याः– 01

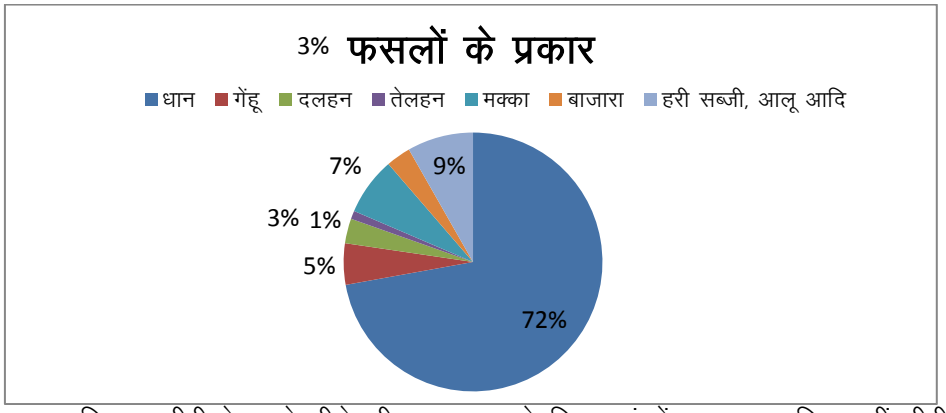

लगभग 55 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले हैं। अलग अलग गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की प्रतिशतता में भिन्नता है। देवरियाकलां में मात्र 17 प्रतिशत हीं बीपीएल धारक हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वालों की जातीय स्थिति निम्नवत हैः–

ग्राफ संख्याः– 02

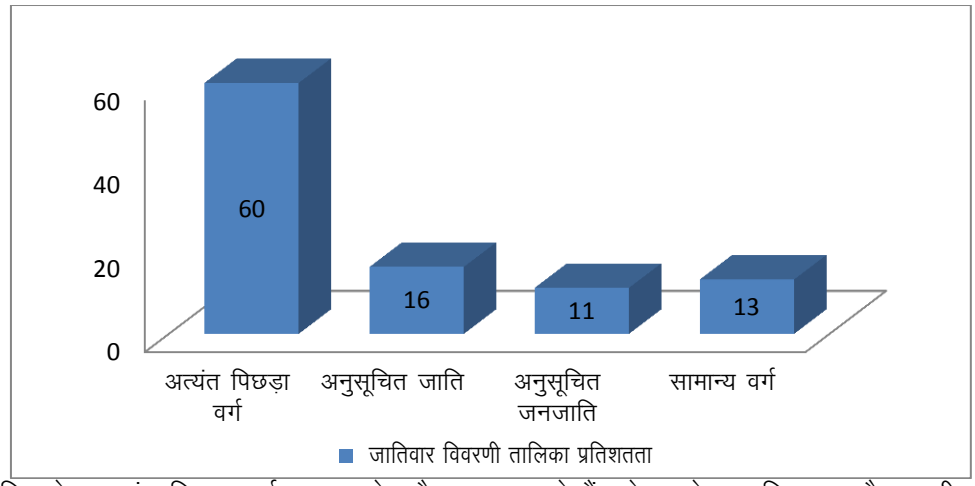

प्रभावित क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है। लगभग 88 प्रतिशत हिन्दु व 12 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। इसाई धर्मावलम्बियों की आबादी नगण्य है। इस खनन परियोजना से 26 गांव प्रभावित होने वाले है। प्राथमिक व द्वितियक चरण में प्रभावित होने वाले प्रमुख गांव आराहारा, चेपाकला, चेपाखुर्द, चिरूडीह, जुगरा, ढ़ेगा, पकरीबरबाडीह, चुरचू, लंगातू, चंदौल, लकूरा, बडकागांव, देवरीया कला, सिकरी, डाडीकला, पन्दौल, लुरूंगा, पन्दौल, चुरचू, नगरी, सिन्दुआरी, उरूप, सिरमा, देवरीया खुर्द, इतीज, चिरूडीह, जबरा, बरियातु एवं केरी है।

प्रभावित परिवारों के शिक्षा का स्तर एक तरह से निम्न है। पुरूषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब है। विविध गांव के शिक्षा के स्तर में विविधता है। व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति भी बदत्तर है। आधुनिक रोजगार की दृष्टि से ज्ञान व कौशल आधरित शैक्षिक अर्हत्ता रखने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। एक चौथाई लोग निरक्षर हैं। जबकि 43 प्रतिशत लोग प्राथमिक स्तर तक हीं शिक्षित हैं। इस प्रकार 70 प्रतिशत आबादी के पास रोजगार की दृष्टि से समुचित शैक्षिक अर्हत्ता नहीं है। मात्र 4 प्रतिशत लोग हीं स्नातक व उससे ऊपर तक पढ़े हैं। रोजगारोन्मुख शिक्षा व कौशल की दृष्टि से स्थिति संतोषजनक नहीं है। फलतः कोयला खनन परियोजना में स्थानीय लोंगों के मजदूर, गार्ड आदि के अलावे रोजगार की संभावना नहीं के बराबर है। प्रभावित परिवारों शिक्षा का स्तर इस प्रकार हैः–

तालिका संख्याः– 02

क्रम सं.	शिक्षा का स्तर	प्रतिशतता
1	निरक्षर	27
2	प्राथमिक	43
3	माध्यमिक	16
4	उच्यतर माध्यमिक	10
5	स्नातक	3.4
6	स्नातकोत्तर	0.6
7	योग	100

स्रोत :– क्षेत्रकार्य 2019–20

पकरीबरवाडीह कोयला खनन परियोजना से प्रभावित गांवो के लोग विविध आयु वर्ग के हैं।

अलग–अलग आयु वर्ग के लोग खनन परियोजना के कारण अलग–अलग प्रकार से प्रभावित हुए हैं। कोयला खनन परियोजना से प्रभावित होने वाले विविध आयु वर्ग के लोग निम्नवत् हैंः–

तालिका संख्याः– 03

क्रम सं.	आयु वर्ग	पुरूष प्रतिशतता	महिला प्रतिशतता	प्रतिशतता का योग
1	01–10	6.9	6.6	13.5
2	10–20	9.9	8.6	18.5
3	20–30	10.8	10.2	20.8
4	30–40	8.3	8.1	16.4
5	40–50	7.4	7.2	14.6
6	50–60	6.3	5.9	12.2
7	60+	2.1	1.9	04

स्रोत :– क्षेत्रकार्य 2019–20

प्रभावित गांवों में 20–30 आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या लगभग 21 प्रतिशत है जबकि 30–40 आयु वर्ग की लगभग 17 प्रतिशत है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि लगभग 37 प्रतिशत युवाओं व वयस्कों के रोजी रोजगार पर खनन परियोजना का पूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। लगभग 13 प्रतिशत बालकों की बाल्यावस्था, उनके पालन पोषण, समाजीकरण व शिक्षा पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कोयला खनन का प्रभाव पड़ रहा है। लगभग 17 प्रतिशत लोगों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जबकि 1.5 प्रतिशत बच्चे को उनके घर वाले द्वारा बेहतर शिक्षा के लिए शहरों में भेजे जाने से उनके शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई परिवार मुआवजे की राशि का सदुपयोग शिक्षा पर कर रहें है। 50 से 60 वर्ष वाले लगभग 21 प्रतिशत लोगों के रोजी रोजगार पर नकारात्मक व 5 प्रतिशत के आस पास लोगों के रोजी रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

शोध प्रविधि :– प्रस्तुत शोध अध्ययन क्षेत्र कार्य विधि के माध्यम से आंकडों के संकलन हेतु मानवविज्ञान की मानक प्रविधियों में से अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची विधि, अर्न्तवस्तु विश्लेषण विधि, फोकस ग्रुप डिस्कसन, निदर्शन विधि, छाया चित्रण विधि का प्रयोग किया गया है।संरचित अनुसूची का अनुप्रयोग किया गया है।द्वितीयक आकंडों के संकलन हेतु समाचार पत्रों, विषय से संबंधित लिखित दस्तावेजों, जर्नलो में प्रकाशित

आलेखों, पुस्तकों, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध प्रबंधों, वेबसाइटों पर उपलब्ध आंकडों, सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, सरकारी व कम्पनी के प्रतिवेदन व दस्तावेजो का मुख्य रूप से सहारा लिया गया है।

शोध परिणाम

कोयला खनन परियोजना हेतु किये गये भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप परम्परागत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्त्तन,भूमि के एवज में मुआवजों व रोजगार के अवसर की संभावना के परिप्रेक्ष्य में पारिवारिक संरचना में बदलाव हो रहे हैं। भूमि अधिग्रहण,विस्थापन व पुर्नवास,मुआवजा व रोजगार आदि जैसे मुद्दों पर परिवार में आपसी तालमेल के अभाव में संयुक्त परिवार का विधटन केन्द्रीय परिवार में हो रहा है। विगत कुछ वर्षों में हीं लगभग 27 प्रतिशत संयुक्त परिवार का विधटन केन्द्रीय परिवार में हो चुका है।परिवार की परम्परागत संगठनात्मक व्यवस्था, नातेदारी संबंधों में भी बदलाव हो रहे हैं। भूमि के हकदारी एवं मुआवजा व कंपनी में रोजगार प्राप्ति को लेकर भी परिवार के सदस्यों एवं परिवारों के मध्य विवाद व संधर्ष की धटनाओं के कारण भी पारिवारिक समरसता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भूमिहीन, साधन व संसाधन विहीन परिवारों की स्थिति कई मायने में बदत्तर हुई है। महिलाओं, वृद्धों एवं बच्चों के पारिवारिक जीवन पर प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव पड़ रहा है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण महिलाओं की भूमिकाओं में भी परिवर्तन आ रहे हैं। परिवार के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी प्रकार्यो में भी परिवर्तन आये हैं।

कोयला खनन परियोजना का प्रभावितों के सामाजिक जीवन, सामाजिक पूँजी, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचनाओं व संगठनों पर प्रत्यक्ष व परोक्ष, तात्कालिक व दूरगामी, स्थायी व अस्थायी प्रभाव पड़ रहा हैं। खनन परियोजना के आरम्भ होने के पूर्व वर्षों से चली आ रही परम्परागत ग्रामीण व कृषक सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिसम्पत्तियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विवाह संबंधी लेन–देन, विवाह आयोजित करने के तौर तरीकों, खान–पान आदि में भी बदलाव आये हैं। प्रभावितों के सांस्कृतिक जीवन को भी कोयला खनन परियोजना ने प्रभावित किया है। पर्व–त्यौहार व सांस्कृतिक अवसरों को आयोजित करने के तरीकों में बदलाव आ रहें हैं। सामाजिकता, सामुदायिकता, अनौपचारिकता आदि के स्थान व्यक्तिवादिता, अवसरवादिता व औपचारिकताहावी व प्रभावी हो रहा है। लोगों के व्यय करने की प्रवृति में हठात बदलाव देखे जा सकते हैं।

कोल संस्कृति के अभ्युदय के कारण लोगों के जीवन में भौतिक संसाधनों के उपभोग की प्रवृति में अप्रत्याशित ईजाफा हुआ है। भूमिहीन, निर्धन, रोजगार विहीन परिवारों की स्थिति दयणीय हुई है। लोगों के व्यय करने की प्राथमिकताओं, आदतों व मनोवृत्तियों में भी तीव्रगति से परिवर्त्तन हो रहे हैं। औधौगिक व नगरीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों व परिपरटी को लोग अपनाने लगे हैं। शादी–विवाह, जन्म व मृत्यु संस्कार जैसे

सांस्कृतिक अवसरों के आयोजनो के स्वरूप व व्यवस्थाओं में बदलाव आ चुके हैं। कोयला खनन परियोजना का प्रभावितों के आर्थिक जीवन पर कई प्रकार से प्रभाव पड़े हैं। प्रभावितों के आर्थिक जीवन पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, तात्कालिक व दूरगामी प्रभाव पड़ रहे हैं। परम्परागत कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक तरह से तहस–नहस हो रहे हैं। आजीविका के साधन संसाधन व स्रोतों में भी बदलाव हो चुके हैं। परियोजना के कारण रोजगार के नये अवसरों का भी अभ्युदय हुआ है। कृषक मजदूर औधगिक श्रमिक बनने को विवश हैं। कौशल युक्त शिक्षा व ज्ञान के अभाव में स्थानीय लोगों को उच्च पदों पर नौकरियाँ नहीं मिल सका है। प्रभावितों परिवार में से लगभग तीन सौ लोगों को दैनिक आधारित मजदूरी पर परियोजना में नौकरी मिली है। आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य एवं कोयला ट्रांस्पोटिंग में भी स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलें हैं।

पकरीबरबाडीह कोयला खनन परियोजना क्षेत्र में विगत चार वर्षों से खनन कार्य किया जा रहा है। पकरीबरबाडीह कोयला खनन परियोजना क्षेत्र में खनन कार्य आरम्भ होने के कारण प्रभावित परिवारों के आजीविका, रोजगार, दैनिक जीवन, पारिवारिक व सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्राथमिक व द्वितियक चरण में परियोजना से प्रभावित होने वाले 26 गांव के 8339 परिवार प्रभावित होने वाले हैं। कई गांव के परिवार प्राथमिक चरण में विविध प्रकार से प्रभावित हो चुके हैं। प्रभावित होने वाले परिवारों का जातिगत विवरण इस प्रकार हैः–

तालिका संख्याः– 04

क्रम सं.	विवरण	भू–अर्जन अधिनियम से प्रभावित	सी.बी.एक्ट से प्रभावित	कुल प्रभावित
1	अनुसूचित जनजाति	0	0	0
2	अनुसूचित जाति	191	648	839
3	अन्य पिछड़ी जाति	699	5886	6585
4	सामान्य जाति	178	737	915
	कुल	1068	7271	8339

स्रोत :– क्षेत्रकार्य 2019–20

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि झारखण्ड जैसे राज्य में किसी कोयला खनन परियोजना से अनुसूचित जनजाति के लोग प्रभावित न हो यह एक तरह से अपवाद के रूप में देखा जा सकता हे। सर्वाधिक लगभग 79 प्रतिशत परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के विविध जातियों का प्रभावित हो रहा है। प्रभावित परिवारों में अनुसूचित जाति के लोग लगभग 10 प्रतिशत है। अर्थात 89 प्रतिशत आरक्षण संवर्ग के हैं। मात्र 11 प्रतिशत लोग हीं सामान्य जाति के हैं। अलग अलग गांवों में विविध जाति के लोगों की प्रतिशतता में विविधता है।

परियोजना प्रारम्भ होने के कारण स्थानीय लोगों को विस्थापित व पुर्नवासित होना पड़ रहा है। विस्थापन व पुर्नवासन कई चरणों में होना है। कंपनी के द्वारा विस्थापित परिवारों के पुर्नवासन हेतु ढेंगा में आवासीय परिसर का निर्माण किया गया है। गंझु जाति के लगभग 20 परिवार के लोगों ने गैरमजरूआ जमीन पर कंपनी द्वारा मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि से पक्का का बढ़िया घर बना लिया है। ऐसे कंपनी दावा करती है कि इन धरों का निर्माण कंपनी के द्वारा हीं किया गया है। परिवार के लोग ऐसे पुर्नवासन हेतु कंपनी के आवासीय व्यवस्था से विस्थापित परिवार असंतुष्ट हैं। साथ हीं साथ प्रभावित क्षेत्र में पहले से निर्मित आधारभूत संरचनाओं विशेषकर शिक्षण संस्थान, जनसुविधा केन्द्र और सरकारी भवन पूर्णतः व आंशिक हैः–

ग्राफ संख्याः– 03

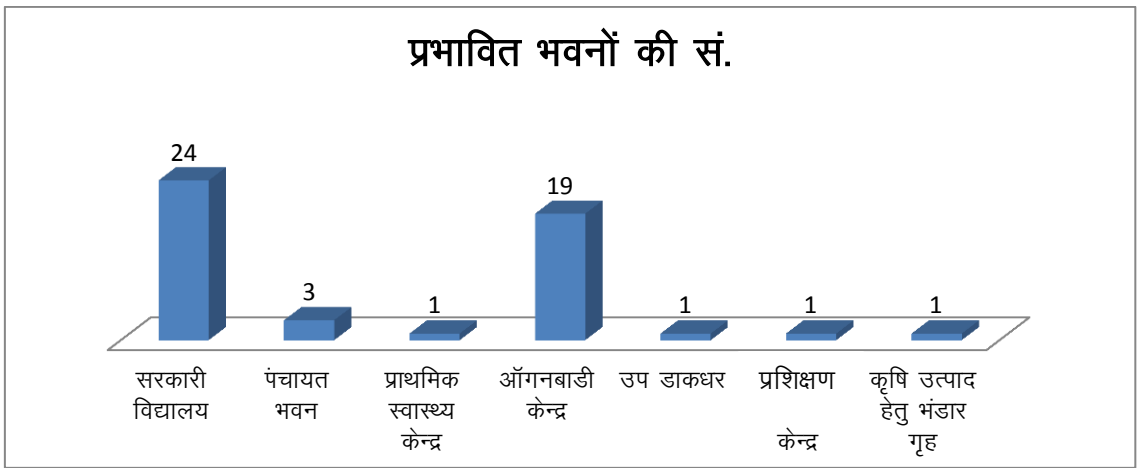

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 24 सरकारी विद्यालय, 19 ऑगनबाड़ी केन्द्र, 3 पंचायत भवन , 1 उप डाकधर, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 महिला प्रशिक्षण केन्द्र व 1 कृषि उत्पाद हेतु भंडार गृह पूर्णतः प्रभावित होने वाले हैं। शिक्षण संस्थान, जनसुविधा केन्द्र और सरकारी भवन के साथ हीं साथ सार्वजनिक एवं सामुदायिक संपत्तियों, परिसंपत्तियों एवं संरचनाओं की भी हानि होनी है।

ग्राफ संख्याः– 04

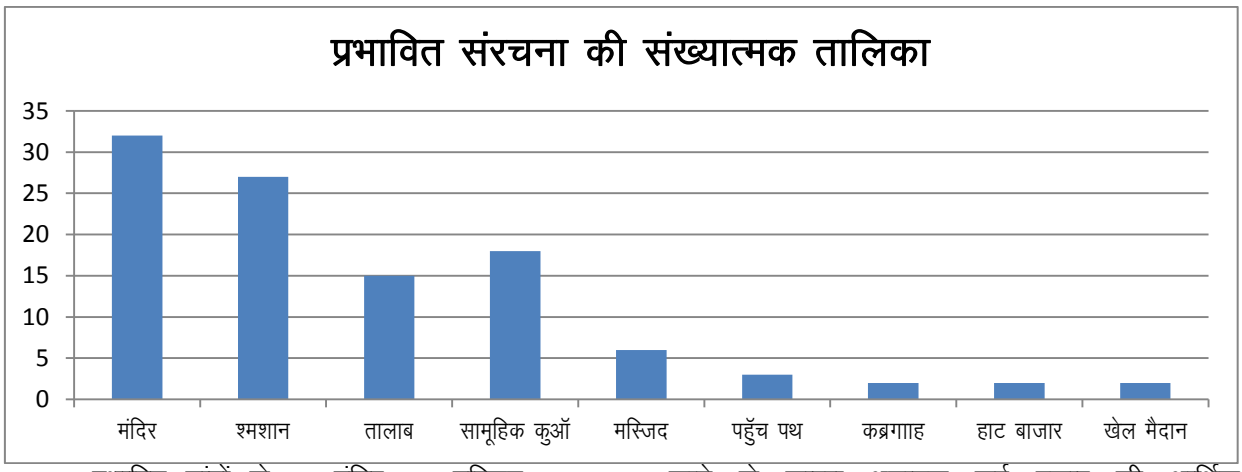

प्रभावित गांवों के 32 मंदिर, 06 मस्जिद, 02 खेल मैदान, 27 श्मसान, 02 कब्रिस्तान, 02 हाट–बाजार, 03 पहुॅच पथ व 18 सामूहिक कुआॅ पूर्णतः प्रभावित होने वाले हैं।

कोयला खनन परियोजना के कारण क्षेत्र में एक नये प्रकार की कोल संस्कृति का परिवेश तैयार हो रहा है। आजीविका के परम्परागत आर्थिक क्रियाकलापों यथा कृषि कार्य पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है व भविष्य में इस क्षेत्र में कृषि कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। लोगों को पुर्नवासित होने को विवश होना पड़ेगा। कृषि कार्य के माध्यम से जीवन गुजर बसर करने वाले किसानों व कृषक मजदूरों को कोयला बेचने व औद्योगिक मजदूर बनने को विवश होना पड़ रहा है। ध्वनी, वायु एवं जल प्रदूषण की बढ़ती समस्या के साथ लोगों को समायोजन स्थापित करना पड़ रहा है। कम्पनी में ठेके व ट्रांसपोर्टिंग के कार्य को लेकर लोगों में नये प्रकार के जोड़ तोड़ होने से आपसी सौहार्दता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साक्षात्कार दाताओं के अनुसार प्रतिरोध करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वालों, मुखर रूप से संघर्ष करने वालों में से कई को प्रशासनिक दबाव डालकर शांत कर दिया गया, तो कई को कम्पनी में रोजगार देकर या कई अन्य प्रकार के प्रलोभन की सहायता लेकर कोयला ढुलाई हेतु प्रयोग में आने वाले वाहनों की चपेट में बहुत लोगों की जान जा चुकी है। अपने जीवकोपार्जन के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी से गैरमजरूआ व वनभूमि पर पूर्णतया आश्रित रहने वाले परिवारों व लोगों की स्थिति और भी खराब हुई है। रैयती जमीन नहीं होने या भूमि संबंधी विधिक अथवा मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं रखने के परिणामस्वरूप बहुत से परिवारों को न तो भूमि के एवज में सही से मुआवजा मिल सका है, न हीं किसी प्रकार का रोजगार। फलतः बहुत से परिवार रोजगार की सारी संभावना समाप्त हो जाने के कारण अचानक कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक व मानसिक समस्याओं का आये दिन सामना करने को विवश हैं। साक्षात्कार से इस तथ्य की अभिपुष्टि होती है कि अभी तक सभी रैयतों ने मुआवजे की राशि नहीं ली है। कम्पनी मुआवजे की ऐसी राशि को सरकारी कोष में जमा करा अपने दायित्व मुक्त मान रही है। भूमि अधिग्रहण व उससे संबंधित मुआवजे व पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए कम्पनी के नीतियों व कार्य व्यवहार के प्रति रैयतों व स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। सरकार व प्रशासन द्वारा कमपनी को पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त होने के कारण सरकार व प्रशासन के प्रति भी ग्रामीणों में नाराजगी है। जुगरा जैसे कई गांव के रैयत परिवार न्यायालय में मामले को ले गये हैं। भूमि अधिग्रहण के क्रम में कम्पनी, पुलिस व प्रशासन के साथ प्रभावित परिवारों ने काफी संघर्ष किया है। इस संदर्भ में तत्कालीन स्थानीय विधायक सहित सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दायर किया जा चुका है। पुलिस की गोली से कई ग्रामीण धायल हुए हैं व कइयों की मौत भी हो चुकी है। कम्पनी के अधिकारियों को स्थानीय लोगों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। हाल के दिनों में कम्पनी के एक अधिकारी की हत्या हुई। क्षेत्र कार्य के दौरान चुरचू बस्ती में लहलहाती धान के फसल पर हाईवा चलाने व ओबी गिराने की घटना का अवलोकन किया गया। प्रभावितों का दावा है कि एकरारनामे को झुठलाते हुए प्रशासन के सहयोग से उनके साथ धोर नाइंसाफी हो रही है। इस दौरान घटनास्थल पर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी गई। प्रथम चरण में पुनर्स्थापन एवं पुर्नवास का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है भलें हीं ढ़ेगा में पुनर्स्थापन एवं पुर्नवास हेतु आधरभूत संरचना बनकर तैयार है। किन्तु भूमि विहिन व कृषक मजदूर के रूप में काम करने वाले और गैर मजरूआ जमीन का वर्षों से प्रयोग कर जीविका निर्वहन करने वाले परिवार की स्थिति

काफी खराब हुई है। संयुक्त परिवार में विखंडन हुए हैं। मुआवजे की राशि के उपयोग व हिस्सेदारी के मुद्दे पर कई परिवारों में विवाद व संघर्ष के कारण पारिवारिक सौहार्दता व समसरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।

इन नकारात्मक प्रभावों के मध्य कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। कोयले की ढुलाई व ट्रांसपोटिंग में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलें हैं। मुआवजे की राशि व बैंक से लोन लेकर हाइवा व डंफर जैसे वाहनों को खरीद कर लोग व्यावसायिक प्रयोग करने लगे हैं। प्रभावितों में से सैकड़ों लोग को संविदा पर नौकरी मिली है। सहकारी सामाजिक दायित्व के तहत कंपनी के द्वारा प्रभावित गांवों में नली, गली, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था तथा बच्चों के शिक्षा, खेलकूद व मनोरंजन से संबंधित सामग्रियों का वितरण का काम समय समय पर किया जाता है। कंपनी क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के क्षेत्र में कुछ सुधारात्मक बदलाव आयें हैं। बहुत से परिवार मुआवजे की राशि से जमीन जायदाद खरीद कर शहर में बस चुके हैं। बहुत से परिवार अपनें बच्चों को शहर के स्कूलों में पढ़ाने लगे हैं। कुछ लोग मुआवजे की राशि का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों में करने लगे हैं। भौतिक संसाधनों के उपभोग को बढ़ावा मिला है। लोगों में उपभोगवादी प्रवृति, व्यक्तिवादी व्यवहार व सोच फलने–फूलने लगे हैं।

निष्कर्ष

कोयला खनन परियोजना चालू होने से लोगों को विस्थापन, सामाजिक–सांस्कतिक हानि, ध्वनि, वायु व जल प्रदूषण जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों के परम्परागत सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक व सामुदायिक प्राधिकारों, सामुदायिक परिसंपत्तियों यथा चारागाह, पुस्तैनी सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का काफी नुकसान हुआ है। सामुदायिक संपत्ति पर आम लोगों के मालिकाना अधिकारों का हनन व क्षति हुआ है। समाजिकता, सामूहिकता, जातीय अन्तर–परनिर्भरता, पारिवारिक अन्योन्ता एवं पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही आपसी सामाजिक, सांस्कतिक व आर्थिक समावेशी व्यवस्था प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में प्रभावित हुई है। स्थानीय सामाजिक नेटवर्क के संजाल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जजमानी व्यवस्था व ग्रामीण जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। समाजिक संरचना व संगठन में विघटनात्मक तत्त्वों के समावेश को बढ़ावा मिला है। पहले से हाशिये पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन पर काफी नकारात्मक प्रभाव है। कृषकों, कृषक मजदूरों व कृषि कार्य के लिए उपयोगी संसाधनों को उपलब्ध कराने वाले यथा– लुहार, बढ़ई आदि का पेशा करने वालों के जीवन पर काफी नकारात्मक प्रभाव है। भूमिहीनता व रोजगार विहीनता के कारण भी लोगों को कई प्रकार के कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों के आजीविका के परम्परागत आदतन प्रतिमान, जीवन दर्शन, विश्व दृष्टि, सामाजिक–सांस्कतिक मूल्यों, नैतिक व चारित्रिक मूल्यों में भी बदलाव आने लगे हैं। परम्परागत सांस्कृतिक पारिस्थितकी का कुनबा बिखरने लगा है।दूसरी ओर खनन परियोजना से रोजगार के नये विकल्प के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। कृषक संस्कृति के स्थान पर कोल संस्कृति का अभ्युदय होने लगा है। कृषक श्रमिकों को गैर–कृषक श्रमिकों के रूप में आजीविका का भरण पोषण करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। प्रभावितों का जीवन पहले से ज्यादा संघर्षमय व गतिशील हुआ है। क्षेत्र में प्रवासियों की संख्या में भी वृद्धि हुए हैं। ग्रामीण कृषक संस्कृति के स्थान पर नगरीय औद्योगिक संस्कृति का विकास हो रहा है। अभौतिक संस्कृति में पराभव के संलक्षण भी स्पष्ट अवलोकित किये जा सकते हैं। परंपरागत कृषिजन्य अर्थव्यवस्था के तहस नहस होने के कारण प्रभावितों के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन आये हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *स्नाइडर, इ.भी. इंडस्ट्रीयल सोशियोलॉजी, मेग्राहील बुक को. न्यूयार्क टोरण्टो. लंदन, 1957, पृ. 35*
2. *बेस, आशीष पोपुलेषण ग्रोथ एण्ड इण्डसटलाइजशन प्रोसेस इन इंडिया सोशल रिसर्च जनरल 1962 वोल्यूम 1 पृ. 72*
3. *दास, ए.के. बनर्जी एस के द लेपचा ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक कलकत्ता ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ बेस्ट बंगाल, 1962 पृ. 69*
4. *सिंहा एस ट्राइब कास्ट एण्ड पिजेण्ट कण्टीन्यू इन सेंट्रल इंडिया मैन इन इंडिया, 1967 वोल्यूम 45 पृ. 18*
5. *विद्यार्थी, एल.पी., अपलाइड एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया इलाहाबाद किताब महल 1968, पृ. 220*
6. *हाजरा, डी. : द दोरला ऑफ बस्तर, एन्थ्रोपोलॉलिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता, 1970.पृ. 167.*
7. *विद्यार्थी, एल.पी.: कल्चरल कांनफयूग्रेशन ऑफ राँची कलकत्ता , बुकलैण्ड.1970,पृ. 187*
8. *सरकार.जे.: अपरूटेड फैमिलीज इन बोकारो इनडसट्रीयल कॉम्पलेक्स ए स्टडी आन इम्पैक्ट ऑफ इनडट्रलाइजेशन पी– एच.डी. थीसिस राँची विश्वविद्यालय 1990*
9. *डिसूजा, विक्टर, फैमिली टाइप एण्ड इनडसट्रलाइजेशन इन सोशल एक्शन भाग 19 संख्या 7 जनवरी मार्च 1969, पृ. 100*
10. *सैनी, रामसरन,'' आदिवासियों पर औद्योगिकीकरण का प्रभाव'' : केस स्ट्डी ऑफ बैलाडीला राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बुलेटिन, भाग – अगस्त 1978 पृ.7–9*
11. *श्रीवास्तव, ए.आर. एन,.: भारत के कमजोर वर्ग, ज्ञानदीप पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 1992. पृ. 58*
12. *पवार ममता,: '' औद्योगिकीकरण एवं जनजातियों के आर्थिक विकास के नये आयाम'' शोध, समीक्षा और मूल्यांकन (अंतराष्ट्रीय शोध पत्रिका) –ISSN-0974-2832.Vol II Issue-7. अगस्त 2009, जयपुर पृ. 275.*
13. *फेलिक्स जॉन राज एस. जे. इम्पैक्ट ऑफ ग्लावेलाइजेशन ऑन ट्राइबल कॉम्यूनिटी द गोथेल इडियन लाइब्रेरी एण्ड रिर्सच सोसाइटी ://H:/Anu.htm.(2014) P 4 to 9.*